

स. एक्स-11/14/1/2019-योववि

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002 Panchdweep Bhawan, CIG Marg,New Delhi – 110 002 Telephone – 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in Website : www.esic.nic.in

परिपत्र

दिनांक: 14.03.2022

Circular

विषय :- क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 55 में संशोधन।

Sub: Amendment to Rule 55 of ESI (Central) Rules, 1950

उपरोक्त विषय पर भारत का राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना स 173, में प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 176 दिनांक 07.03.2022 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है।

यह अधिसूचना नियम 55 में भूतलक्षी प्रभाव से एक परंतुक जोड़ती है जो दिनांक 20.01.2017 से प्रभावी है जो वही तिथि है जिसमें मातृत्व हितलाभ 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया था। वर्तमान अधिसूचना बीमकृत महिला को अंशदान अवधि की संगत हितलाभ अवधि के दौरान बीमारी हितलाभ के लिए पात्र बनाती है जिस अवधि में वह ऐसी अंशदान अवधि में कार्य के उपलब्ध दिनों से आधे के लिए देय अंशदान की छूट प्राप्त शर्त पर प्रसूति मे रही है।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. G.S.R. 176(E) dated 07.03.2022 published in Gazette of India (Extraordinary) No 173 for information.

The notification retrospectively inserts a proviso to Rule 55, effective from 20.01.2017, the date from which the maternity benefit was enhanced from 12 weeks to 26 weeks. The present notification entitles an I.W. to sickness benefit during the benefit period corresponding to the contribution period in which she was on confinement, on relaxed condition of contribution payable for half the number of days available for working in such contribution period.

संलग्न - यथोपरि

उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

- 1. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 2. बीमा आयुक्त (हितलाभ) को सूचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु